भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3536

उत्तर देने की तारीख: 15.07.2019

केन्द्रीय विद्यालयों के खोलने हेतु मानदंड

3536. डॉ. ढाल सिंह बिसेनः

एडवोकेट डीन कुरियाकोसः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के बारे में प्रावधनों/मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का लोगों की मांग को देखते हुए उन केंद्रीय विद्यालयों में अपनी पसंद की स्ट्रीम में बच्चों को प्रवेश प्रदान करने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं/अनुभाग खोलने का विचार है, जो सीबीएसई पाठ्यक्रम के अंतर्गत पहले से कार्यरत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क): नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्तावों पर तभी विचार किया जाता है, जब वे मंत्रालय या भारत सरकार के विभागों/राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा प्रायोजित हों और एक नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु उनके द्वारा संसाधन प्रदान करने की प्रतिबद्धता और सरकार का आवश्यक अनुमोदन उपलब्ध हो। विभिन्न प्रायोजक प्राधिकारियों से प्राप्त नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव को भी अन्य प्रस्तावों के साथ 'चैलेंज मेथड़" के तहत प्रतिस्पर्धा करनी होती है।

प्रस्ताव में निम्नलिखित आवश्यक शर्तों को पूरा करना जरूरी है:

(i) प्रायोजक एजेंसी को नि:शुल्क भूमि का स्थायी स्थानांतरण/नाममात्र के किराए अर्थात 1 रूपए प्रतिवर्ष पर 99 वर्षों की लीज पर हैदराबाद और बंगलौर महानगर में 2.50 एकड़ से 5.00 एकड़ भूमि, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) वाले जिले/पर्वतीय क्षेत्रों/सिक्किम राज्य सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) और अन्य समतल स्थानों में 5 एकड़ से 10 एकड़ भूमि के अनुसार प्रदान करना अपेक्षित है।

(ii) प्रायोजक अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई जमीन पर जब तक स्थायी विद्यालय भवन का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक स्कूल संचालित करने के लिए 7m x 7m के 15 कमरों वाला एक स्वतंत्र किरायामुक्त अस्थायी स्थान प्रदान करना होगा।

(iii) प्रस्तावित विद्यालय में नियुक्त कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारियों को आवासीय स्थान प्रदान किया जाएगा।

(iv) स्टेशन पर रक्षा/केंद्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के न्यूनतम 500 कर्मचारियों का व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से संकेंद्रण (वामपंथी उग्रवाद वाले जिलों/पर्वतीय क्षेत्रों/पूर्वोत्तर के मामले में 200)।

(v) प्रस्तावित केंद्रीय विद्यालय में नामांकन के लिए पूर्वोक्त वरीयता श्रेणी में न्यूनतम 200 विद्यार्थियों की उपलब्धता।

(ख) और (ग): जी, हां। किसी विशेष केंद्रीय विद्यालय में प्राथमिकता श्रेणी के विद्यार्थियों की मांग के आधारपर अतिरिक्त कक्षाएं/अनुभाग अथवा स्ट्रीम, अर्थात विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य, आदि में स्वीकृत किए जाते है।

*****